

22/5/17

पञ्जाबी कोर्ट केस न्याय आप के हार-2017
दिनांक 22.5.2017 केस न्याय के प्रमाण डुरी
उत्तरण का निम्नान्त विद्या पाकर निर्णय
भारत के शिवाज जावे।

पञ्जाबी केस न्याय होकर
न्याय के काम हो।

उपरोक्त आविष्करी
नीलकाण्ठ

हरि
22/5/17
नीलकाण्ठ

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, केम्प कोर्ट – रूपाहेली
पीठासीन अधिकारी— राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 32/2017

1. हरिशंकर पिता रूपलाल जोशी, निवासी 60ए सुभाषनगर, भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. घीसुलाल पिता मोहन लाल पारीक, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भैरू लाल पिता अम्बालाल जाट, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नारू गिरी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गोपाल लाल पिता मगनीलाल जाट, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 22.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 02.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली, भू-अभिलेख क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 728 रकबा 02-09 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02-09 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली, भू-अभिलेख क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 728 रकबा 02-09 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02-09 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 300/- अक्षरे तीन सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)